न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 46/ 2018 जिला सीकर

1. रामपाल पुत्र श्री सुण्डाराम, उम्र 54 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्रम छीलावाली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
2. गोवर्धन पुत्र श्री चौथू राम, उम्र 75 वर्ष , जाति माली, निवासी ग्रम छीलावाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
2. बजरंग लाल पुत्र श्री झूंथाराम, जाति जाट निवासी ढाणी सामोता वाली, ग्रम छीलावाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
3. सायरमल पुत्र श्री बोदूराम, जाति जाट निवासी ढाणी सामोता वाली, ग्रम छीलावाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
4. खेमचन्द उर्फ खेमाराम पुत्र श्री मालीराम जाति जाट निवासी ढाणी सामोता वाली, ग्रम छीलावाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
5. फूलाराम पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ढाणी सामोता वाली, ग्रम छीलावाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
6. सरदार पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ढाणी सामोता वाली, ग्रम छीलावाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
7. कालूराम पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ढाणी सामोता वाली, ग्रम छीलावाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
8. महावीर प्रसाद सैनी पुत्र श्री मंगलचन्द सैनी जाति माली, निवासी ग्रम छीलावाली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
9. बजरंग लाल पुत्र श्री कजोडमल सैनी जाति माली, निवासी ग्रम छीलावाली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
10. प्रभू दयाल सैनी पुत्र श्री कजोडमल सैनी जाति माली, निवासी ग्रम छीलावाली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
11. बाबू लाल सैनी पुत्र श्री गिरधारी सैनी जाति माली, निवासी ग्रम छीलावाली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
12. ईश्वर मल सैनी पुत्र श्री गिरधारी सैनी जाति माली, निवासी ग्रम छीलावाली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

चित्र।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

13. गिरधारी लाल सैनी पुत्र श्री दुलाराम सैनी जाति माली, निवासी ग्रम छीलावाली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

14. मंगल चन्द सैनी पुत्र श्री दुलाराम सैनी जाति माली, निवासी ग्रम छीलावाली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
दिनांक 14.2.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हजारी लाल शर्मा
2. वकील रेस्पोंडन्ट श्री विवेक शर्मा

निर्णय

दिनाक–30.4.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय कमांकः/ राजस्व/2018/699 दिनांक 14.2.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 16.8.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह कि उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को रेस्पोंडेन्ट महावीर प्रसाद सैनी वगैहरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर , जिला सीकर ने ग्रम छीलावाली पटवार मण्डल महरोली , तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित निम्न आराजी खसरा नम्बर में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस के उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.2.2018 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एव 86 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव

Scanned by CamScanner

के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे को किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे । गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस ओदश का भाग रहेंगे । किसी न्यायालय का स्थगन आदेश यदि हो तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किया जावे –

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है
1	महरोली	छिल्यावाली	1410	0.04हैक्टर बारानी 2	0.04हैक्टर
			1312	0.05हैक्टर बारानी 2	0.05हैक्टर
			1311	0.02हैक्टेयर चाही 1	0.02हैक्टर
			1271	0.02हैक्टेयर चाही 1	0.02हैक्टर
			1272	0.02हैक्टेयर चाही 1	0.02हैक्टर
			1308	0.04 हैक्टेयर गै.मु. चाह	0.01हैक्टर
			1306	0.24 हैक्टेयर चाही1	0.0100हैक्टर
			1304	0.52हैक्टेयरबारानी 2	0.0060हैक्टर
			1305	0.19हैक्टेयरबारानी 2	0.0120हैक्टर
			1298	0.73 हैक्टेयर चाही1	0.00050हैक्टर
			1299	0.72 हैक्टेयर चाही	0.0050हैक्टर
			1300	0.83 हैक्टेयर चाही बारानी	0.0050हैक्टर
			1303/2	0.49हैक्टेयरबारानी 2	0.0075हैक्टर
			1302	0.25हैक्टेयरबारानी 2	0.00120हैक्टर
			1319	0.37हैक्टेयरबारानी 2	0.0060हैक्टर
			1320	0.49हैक्टेयरबारानी 2	0.0100हैक्टर
			1322	3.12हैक्टेयरबारानी 2	0.0680हैक्टर

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 14.2.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय 14.2.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम छीलावाली स्थित आराजी खसरा नम्बर 1306, 1304, 1303/2 का खातदेार अपीलान्ट संख्या 1 रामपाल तथा खसरा नम्बर 1299 , 1300 का खातेदार अपीलान्ट सख्या 2 गोवर्धन है । रेस्पोंडन्ट संख्या 2 से 14 द्वारा अपीलांन्ट की उक्त खातदेारी भूमि में से रास्ता निकलवाने हेतु उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधेपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने विवादित भूमि का बिना मौका देखे एवं प्रभावित खातेदारों को सुने बिना रास्ते के प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये थे, जो विधिक नहीं है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने भी अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना नोटिस दिये तथा बिना मौके की जॉच किये अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि आराजी खसरा नम्बर 1331 में आम रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शे में अंकित है तथा इस रास्ते में मोहरम की सडक बनी हुई है तथा इस रास्ते के लगते हुये रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1330, 1332, 1333, 1334, 1348, 1335, 1338, 1340, 1321, 1322, 1325, 1326, 1329, 1327, 1328, 1323, 1324 स्थित है , लेकिन इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया । उनका कहना था कि यदि किसी भी खातेदार की भूमि में अगर किसी भी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रास्ता कायम कराने का प्रावधान है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 से 14 को आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है तो वे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं । उनका कहना था कि अपीलान्ट की जिस भूमि में गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का आदेश दिया है उसमें अपीलान्ट के मकानात, लेट बाथ व ट्यबवैल बने हुये हैं एवं भूमि काश्त के काम आ रही है जिसमे कभी कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं रहा न मौक पर कोई रास्ता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में प्रचलित रास्ता मोके पर 30 वर्षो से चालू होने, जो श्रीमाधोपुर– रींगस रोड बालाजी मन्दिर के आगे पूर्वी तरफ ढाणी को जाता है । उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में काम आ रहा है । उक्त तथ्यों

Scanned by CamScanner

के दृष्टिगत ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रास्ता दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये थे । उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने विवादित भूमि में प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की थी । उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा के आधार पर विवादित भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.2.2018 पारित किया है । गैरमुकीन रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनहित में कायम किया है, जो ग्रम वासियों के आवागमन हेतु उपयुक्त रहेगा । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 14.2.2018 उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को रेस्पोंडेन्ट महावीर प्रसाद सैनी वगैहरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर , जिला सीकर ने ग्रम छीलावाली पटवार मण्डल महरोली , तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शे ट्रेस के उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.2.2018 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एव 86 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे । गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस ओदश का भाग रहेंगे । किसी न्यायालय का स्थगनआदेश यदि हो तो स्थगनआदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किया जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 वं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत

Scanned by CamScanner

रखते हुये मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति थी कि ग्रम छीलावाली स्थित आराजी खसरा नम्बर 1306, 1304, 1303/2 के अपीलान्ट संख्या 1 तथा खसरा नम्बर 1299 , 1300 के अपीलान्ट सख्या 2 खातेदार है जिन्हें बिना सुने व बिना नोटिस दिये तथा बिना मौके की जॉच किये अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को जो कि विवादित भूमि के खातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें बिना नोटिस दिये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर गैर मुमकीन रास्ता कायम किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 14.2.2018 अपीलान्ट की ग्रम ग्रम छीलावाली स्थित आराजी खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 1304 रकबा 0.0060 हैक्टेयर, 1303/2 रकबा 0.0075 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1299 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, 1300 रकबा 0.0050 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner